

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

(अध्यक्ष पक्ष अनुपस्थित  
दिनांक 11/8/22 की रफ्त)

प्र.पक्ष: बकाशाजी हाजरी  
दि.पक्ष: अनुपस्थित

बाद मतवाचित हो जाने के कारण  
बाद की करिबत समाप्त की जाती है।

11/8/22

अभियुक्ति

8/22